संख्या-5 / 2015 / 50बी0पी0 / 35-1-2015

प्रेषक,

.जेबी .सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रशासक,
रामगंगा समादेश क्षेत्र,
कानपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2015

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत समादेश क्षेत्र विकास की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार समादेश क्षेत्र विकास की 08 परियोजनाओं जिनकी कुल लागत रू. 454.73 करोड(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 453.10 करोड+लाभार्थी अंश रू. 1.63 करोड) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25.00 करोड(पचीस करोड मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(करोड रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत			अवमुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि		
		कुल	कुल में		राजस्व पक्ष	पूंजीगत पक्ष	कुल
			अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंश	लाभार्थी अंश			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मौदहा बॉध नहर प्रणाली	94.42	94.08	0.34	0.96	4.04	5.00
2	लहचुरा वीयर नहर प्रणाली	106.72	106.34	0.38	0.96	4.04	5.00
3	बरूआ नहर प्रणाली	30.65	30.54	0.11	0.24	1.01	1.25
4	जामिनी नहर प्रणाली	103.28	102.91	0.37	0.73	3.02	3.75
5	सपरार रानीपुर नहर प्रणाली	36.79	36.66	0.13	0.96	4.04	5.00
6	सजनम नहर प्रणाली	35.04	34.91	0.13	0.48	2.02	2.50
7	चिल्लीमल नहर प्रणाली	20.90	20.83	0.07	0.24	1.01	1.25
8	ओहान नहर प्रणाली	26.93	26.83	0.10	0.24	1.01	1.25
	योग	454.73	453.10	1.63	4.81	20.19	25.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ नं.क्यू-11050/ 21-2013-एग्री. दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से अनुमोदित परियोजना/ कार्यों एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइमलाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं कार्ययोजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/ मुख्यविकास अधिकारी/ विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित हैं।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2015 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा जोखा 31 मार्च 2015 तक नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

5- कार्यो को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

6- यह धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिस मद के लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजनाओं पर किये जाना व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

7- समादेश क्षेत्र विकास से सम्बंधित भारत सरकार के नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही प्रश्नगत परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा और परियोजनाओं में निहित लाभार्थी अंश को भी विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से जुटाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति स्तर की स्वीकृति /तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमादित मूल आगणन/परियोजना से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते है, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमादित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी भारत सरकार एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमें तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पाटीर्ल निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहायोग प्रदान किया जायेगा।

10-कार्य स्थल पर इसे बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन'सारधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

11-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12-द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाये।

13-कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

14-स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा और विभाग द्वारा तदनुसार नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी एवं नीति आयोग, भारत सरकार तथा नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

15-अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

16- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत परियोजनावार संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षों के सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा। पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत उक्त धनराशि लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध एकमुश्त प्रविधान से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा। आदेश संख्या-यू.ओ.04/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है। साथ ही राजस्व पक्ष के अन्तर्गत उक्त धनराशि लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध एकमुश्त प्रविधान से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा। आदेश संख्या-यू.ओ. 05(1 से 8)/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई- 5-225/दस-2014, दिनांक 04 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या– 5 /2015/50बीपी (1)/35-1-2015 तद्द दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
7- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -1

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास मौदहा नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -85–समादेश क्षेत्र विकास मौदहा नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	40400
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-18-समादेश क्षेत्र विकास मौदहा नहर प्रणाली-	
01-वेतन	4825
03-महगाई भत्ता	4005
04-यात्रा व्यय	60
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	354
08-कार्यालय व्यय	50
09- विद्युत देय	10
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	30
13-टेलीफोन पर व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	150
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	20
49- चिकित्सा व्यय	0
कुल योग	9624

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -2

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास लहचुरा वीयर नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -86–समादेश क्षेत्र विकास लहचुरा वीयर नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	40400
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-19- समादेश क्षेत्र विकास लहचुरा वीयर नहर प्रणाली	
01-वेतन	4750
03-महगाई भत्ता	4090
04-यात्रा व्यय	60
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	354
08-कार्यालय व्यय	50
09- विद्युत देय	10
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	80
13-टेलीफोन पर व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	150
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	20
49- चिकित्सा व्यय	0
कुल योग	9624

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -3

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास बरूआ नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -87–समादेश क्षेत्र विकास बरूआ नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	10100
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-20- समादेश क्षेत्र विकास समादेश क्षेत्र विकास बरूआ नहर प्रणाली	
01-वेतन	1000
03-महगाई भत्ता	1000
04-यात्रा व्यय	40
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	196
08-कार्यालय व्यय	20
09- विद्युत देय	10
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	30
13-टेलीफोन पर व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	60
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	0
49- चिकित्सा व्यय	0
कुल योग	2406

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -4

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास जामिनी नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -88–समादेश क्षेत्र विकास जामिनी नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	30200
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं -21- समादेश क्षेत्र विकास जामिनी नहर प्रणाली	
01-वेतन	3245
03-महगाई भत्ता	3160
04-यात्रा व्यय	80
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	389
08-कार्यालय व्यय	50
09- विद्युत देय	20
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	40
13-टेलीफोन पर व्यय	20
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	164
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	20
49- चिकित्सा व्यय	0
कुल योग	7218

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -5

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास सपरार रानीपुर नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -89–समादेश क्षेत्र विकास सपरार रानीपुर नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	40400
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं -22- समादेश क्षेत्र विकास सपरार रानीपुर नहर प्रणाली	
01-वेतन	4200
03-महगाई भत्ता	4150
04-यात्रा व्यय	100
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
06- अन्य भत्ते	554
08-कार्यालय व्यय	50
09- विद्युत देय	10
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	50
13-टेलीफोन पर व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	150
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	0
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	20
49- चिकित्सा व्यय	310
कुल योग	9624

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -6

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास सजनम नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -90–समादेश क्षेत्र विकास सजनम नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	20200
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-23- समादेश क्षेत्र विकास सजनम नहर प्रणाली	
01-वेतन	1980
03-महगाई भत्ता	1915
04-यात्रा व्यय	80
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
06- अन्य भत्ते	161
08-कार्यालय व्यय	40
09- विद्युत देय	20
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	60
13-टेलीफोन पर व्यय	20
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	356
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	20
49- चिकित्सा व्यय	40
कुल योग	4812

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -7

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास चिल्लीमल नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -91–समादेश क्षेत्र विकास चिल्लीमल नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	10100
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-24- समादेश क्षेत्र विकास चिल्लीमल नहर प्रणाली	
01-वेतन	1000
03-महगाई भत्ता	1000
04-यात्रा व्यय	40
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	196
08-कार्यालय व्यय	20
09- विद्युत देय	10
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	30
13-टेलीफोन पर व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	60
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	0
49- चिकित्सा व्यय	0
कुल योग	2406

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-5 /2015/50बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 का संलग्नक -8

परियोजना का नाम- समादेश क्षेत्र विकास ओहान नहर प्रणाली

लेखाशीर्ष	धनराशि (हजार रू. में)
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -92–समादेश क्षेत्र विकास ओहान नहर प्रणाली-24&वृहद निर्माण कार्य	10100
2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-25-समादेश क्षेत्र विकास ओहान नहर प्रणाली	
01-वेतन	1000
03-महगाई भत्ता	1000
04-यात्रा व्यय	40
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	196
08-कार्यालय व्यय	20
09- विद्युत देय	10
11-लेखन सामग्री फार्मों की छपाई	30
13-टेलीफोन पर व्यय	10
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30
17-किराया उपशुल्कऔर कर स्वामित्व	60
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	0
49- चिकित्सा व्यय	0
कुल योग	2406

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।